


प्रेषक,

सचिव,
नियोजन,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रेष्य,

विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग/सिंचाई/पेयजल/ऊर्जा/
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/उद्योग/
प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/
ग्राम्य विकास विभाग/पंचायती राज/कृषि विभाग/
उद्यान विभाग/शहरी विकास/नियोजन/
वित्त/प्राविधिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण
उत्तराखण्ड।

राज्य योजना आयोग

देहरादून,

दिनांक: 27 फरवरी, 2019

33
प्रमुख अभियंता
लो. नि. वि. वि.

कार्मिकों की Capacity Building हेतु Executive MBA Course के सम्बन्ध में।

विभिन्न विभागों के कार्मिकों की Capacity Building हेतु कार्यरत अधिकारियों को दो वर्षीय Part Time Executive MBA Course पैट्रोलियम और ऊर्जा, शिक्षा विश्वविद्यालय (UPES) के माध्यम से कराया जा रहा है।

उक्त के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों तथा UPES से हुए विचार-विमर्श उपरान्त MBA Course को विभिन्न विभागों की आवश्यकता के अनुरूप तैयार करते हुए कार्मिकों के चयन एवं प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया। कार्यक्रम को निम्नानुसार सम्पादित किया जायेगा:-

1. Part Time Executive MBA Course करने वाले कार्मिकों का चयन सम्बन्धित विभागाध्यक्षों द्वारा किया जायेगा।
2. विभिन्न विभागों के अभियन्ताओं के साथ-साथ अन्य अधिकारी भी Part Time Executive MBA Course कर सकेंगे।
3. कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिवर्ष अधिकतम-50 कार्मिक Part Time Executive MBA Course करेंगे।
4. कार्यक्रम हेतु प्रतिवर्ष, लोक निर्माण विभाग-05, सिंचाई-04, पेयजल-04, ऊर्जा-03, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-04, शिक्षा (प्रारम्भिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा)-04, ग्राम्य विकास विभाग-03, कृषि विभाग-04, उद्यान विभाग-04, शहरी विकास-03, नियोजन-03, वित्त-04, अन्य-05 विभागों के कार्मिकों का चयन किया जायेगा।
5. प्रत्येक विभाग की संख्या का निर्धारण अधिकतम के आधार पर किया गया है अर्थात् कोई भी विभाग एक वर्ष में उक्त निर्धारित सीमा से अधिक अभ्यर्थियों का चयन नहीं कर सकेगा।
6. ऐसे विभाग ही अपने कार्मिकों को Part Time Executive MBA Course करा सकेंगे, जिनके पास मानक मद 44-प्रशिक्षण व्यय/16-व्यवसायिक और विशेष सेवाओं में समुचित धनराशि की व्यवस्था होगी। विभाग इन्हीं मदों से कोर्स के भुगतान का व्यय भार वहन करेंगे।
7. कोर्स के ससमय भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।
8. विभागों की निर्धारित संख्या के आधार पर विभागाध्यक्षों द्वारा कार्मिकों का चयन कर, चयनित कार्मिकों की सूची नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। नियोजन विभाग द्वारा उक्त कोर्स

CAO I

20/03/19
EE

05/03/19
AA

260
EE (विभागाध्यक्ष)

PA/CAO
01/03/19
C-8 (K)

20/03/19

828

Uyent
[Signature]

19/03/19 33

हेतु प्रतिवर्ष न्यूनतम 30 अभ्यर्थी, अधिकतम 50 अभ्यर्थियों की सूची UPES को उपलब्ध करायी जायेगी।

9. UPES के माध्यम से कराये जाने वाले प्रस्तावित Part Time MBA Course का नोडल विभाग नियोजन विभाग होगा, जो विभागों से प्राप्त चयनित कार्मिकों की सूची को कोर्स प्रारम्भ से पूर्व UPES को प्रेषित करेगा तथा UPES के माध्यम से कोर्स पूर्ण कर चुके कार्मिकों एवं विभागों से Feedback/ Outcome का परीक्षण करेगा।
10. Part Time Executive MBA Course दो वर्ष की अवधि (04 सैमेस्टर) का होगा। कोर्स की दो वर्ष की अवधि की कुल लागत ₹ 1,10,000/- निर्धारित है।

उक्त के सम्बन्ध में अनुरोध है कि उक्तानुसार निर्धारित संख्या के आधार पर कार्मिकों का चयन करते हुए प्रशासकीय विभाग के माध्यम से उपयुक्त कार्मिकों की सूची दिनांक 11 मार्च, 2019 तक नियोजन विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

पत्रांक- /67/रा0यो0आ0/2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के अवलोकनार्थ।
2. सम्बन्धित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. Professor & Head, CCE (Academic Unit) UPES, Dehradun.

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431

Web- <http://govt.ua.nic.in/pwd>

E-Mail-eicpwwduk@nic.in

पृष्ठांकन 626/06व्यक (M.B.A)-सा0/2019

दिनांक- 07/03/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय/रा0मा0/विश्व बैंक/ए0डी0बी0/पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा /पिथौरागढ़/हल्द्वानी/टिहरी/पौड़ी/देहरादून को इस आशय से प्रेषित है कि अपने अधीनस्थ वृत्तों/खण्डों को परिचालित करते हुए एम0बी0ए0 कोर्स हेतु इच्छुक अभियन्ताओं के नाम संस्तुति सहित दिनांक 09.03.2019 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
02. समस्त अधीक्षण/अधिशाली/सहायक अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
03. अधिशाली अभियन्ता आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को वेब साइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
04. गार्ड पत्रावली।

1-1
upwardan
21/3/19

अधिशाली अभियन्ता